

8.4.24

8.4.24

पत्रावली पेश हुई जाई अधिकतम उपस्थित। मूल
वाद प्रतिवादी संख्या 1 वर के विरुद्ध 022R4(3) के तहत
उपशमन लेकर खारिज हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में भी
गोमकायती कार्यवाही नहीं कराये जाने के विपक्षी संख्या
1 वर के विरुद्ध आदेश 22 नियम 4(3) के तहत उपशमन
हो चुका है।

धन: जार्जिंग फन अवेर हो जाने से इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। निर्णय और आलास सुनाया
गया। प्रकरण फंसलशुमार लेकर नम्बर से कम है।

(रिया डबी)

IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिबुदयपुर

